

कार्यालय पंचायत समिति-कुराबड, जिला उदयपुर (राज0)

श्रीमान् परसू / सरथा / शिक्षक भर्ती 2016/2016-17/६४४

दिनांक 28-7-2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती - 2016 प्रथम स्तर नॉन टीएसपी क्षेत्र अन्तर्गत सामान्य शिक्षकों का विज्ञापित पदों का चयन कर श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पत्रांक दिनांक 13.06.2017 से प्राप्त सूची अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को संयुक्त शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जयपुर के पत्रांक प.2(5) शिक्षा-1/प्राशि/2003 जयपुर दिनांक 31.01.2017 से प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 06.07.2017 को काउन्सलिंग केंद्र जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर द्वारा आयोजित किया जाकर अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सलिंग केंद्र में भाग लेकर पदस्थापन स्थान का चयन किये जाने के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर के पत्रांक 1413 दिनांक 07.07.2017 से प्राप्त सूचियों का जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन किया जाकर सूचियों में वर्णित अभ्यर्थियों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं 1996 के अन्तर्गत भर्ती नियमों, विहित प्रक्रिया एवं अपेक्षाओं के अधीन नियुक्ति हेतु श्रीमान् अति परीक्षा नियन्त्रक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर के पत्रांक-एफ()/ जि.प.उ. /संस्थापन/टीजीटी-16/उदयपुर/2017/896 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा उक्त पदों पर समिति को आर्गनाइज्ड विभागात्तर आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक पदों पर परीक्षा परीक्षापूर्वक रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर कार्यग्रहण की तिथि से नियुक्ति के लिए आगामी दिनांक 1-अगस्त 2017 को जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में पदस्थापन किया जाता है-

क्र.सं.	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पिता/पति का नाम	पता	जन्म तिथि(dd-mm-yy)	चयन श्रेणी (विशिष्ट श्रेणी सहित)	प्रथम/द्वितीय स्तर (विषय सहित)	पदस्थापन विद्यालय
1	116124650	जगदीश प्रसाद वैरवा	गंगासहाय वैरवा	घाकरा डाणी, लालसोट, बीरा	13.07.1993	GEN	प्रथम स्तर	राउप्रावि रतनपुरा
2	127006683	ईश्वरलाल भील	कालु जी	खेमली स्टेशन, मावली उदयपुर	04.01.1992	GEN	प्रथम स्तर	राउप्रावि कलोडिया
3	116116643	विजय शर्मा	भुजेश्वर शर्मा	सूरज सिनेमा के पास, सवाईमाधोपुर	15.01.1993	GEN	प्रथम स्तर	राप्रावि सुरो का गुडा
4	122014492	सतीश कुमार	कप्तान सिंह	सरुरपुर, जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश	02.05.1986	GEN	प्रथम स्तर	राप्रावि हाथी दो
5	116003610	पूजा यादव	सत्यानारायण यादव	दोदसर, बीमु, जयपुर	17.02.1988	GEN	प्रथम स्तर	राप्रावि आला की डाणी
6	102000196	सियाराम शर्मा	रामरवरुण शर्मा	जाबर, त. फागी, जयपुर	08.07.1981	GEN	प्रथम स्तर	राप्राशिकवि रामजखेडा
7	116122354	विजय कुमार	हेमचन्द्र खण्डोलिया	वाई नं. 3, हरसुली, त. कोटकासिम, अन्तर	04.03.1992	GEN	प्रथम स्तर	राप्रावि सुरो का गुडा

(Handwritten Signature)

8	581100988	सीता शर्मा	अजयेश शर्मा	अब्दुलपुर, त बाड़ी, धौलपुर	25.07.1985	GEN	प्रथम स्तर	राउप्राधि उषला चोटिका
9	122013914	शिवानी जैन	सुमनचंद जैन	सिण्डोनरिटी करीली	17.8.1986	GEN	प्रथम स्तर	राउप्राधि नलाकला
10	5615486	पूजा गुप्ता	शिंदी लाल गुप्ता	मानसरोवर, सांगि नेर, जयपुर	15.03.1987	GEN	प्रथम स्तर	राप्राधि गायसीफला
11	106029767	सीरम सिधल	सीताराम सिधल	सीतारामबाजार, बाड़ी, धौलपुर	11.08.1990	GEN	प्रथम स्तर	राउप्राधि उषला चोटिका
12	111000590	समीर कुमार सिंह	मुकुट बिहारी सिंह	रुपवास, भरतपुर	20.08.1990	GEN	प्रथम स्तर	राप्राधि करमाल
13	111000590	सीता शर्मा	रमानिधारा शर्मा	जमाना, भरतपुर	07.12.1990	GEN	प्रथम स्तर	राप्राधि करमाल
14	111000590	बिंदी कुमारी फरीदवार	बाबुलाल जैन	लाजसोट, दौरी	30.03.1991	GEN	प्रथम स्तर	राउप्राधि सगतडी
15	111000590	वीरज शर्मा	ओमप्रकाश शर्मा	डीग, भरतपुर	01.01.1992	OBC	प्रथम स्तर	राउप्राधि जमुन
16	106031427	राजेश प्रसाद	भगवान सिंह	दिपलीपुरा, सैयत, धौलपुर	01.02.1993	OBC	प्रथम स्तर	राप्राधि डीमडा कला
17	102019017	हरीशचंद्र गुजर	कानाराम गुजर	दाणी छोबला, कोटपुतली, जयपुर	02.06.1993	SBC	प्रथम स्तर	राप्राधि खोडाम
18	122012448	सीताराम कुमार शर्मा	गानेश सिंह शर्मा	वालभगद, मुसकर, भरतपुर	12.08.1987	OBC	प्रथम स्तर	राउप्राधि पातुखेडा
19	131025914	मनदीप सिंह	सुमेश सिंह	कालना, हनुमानगढ़	04.11.1988	OBC	प्रथम स्तर	राप्राधि धौलामगरा
20	133028556	हमलता दजी	सम्भत लाल दजी	सी. नं. 9 उदयपुर	01.07.1991	OBC	प्रथम स्तर	राप्राधि माझाखादरी
21	133028905	सुरभि रंगर	कैलाश चंद्र रंगर	रंगर कौलीनी, बुझमठ, उदयपुर	30.06.1994	SC	प्रथम स्तर	राप्राधि कालीबली
22	133028929	हेमन्त सिंह सिकरवाल	पतेश सिंह सिकरवाल	टोडी, कुराबठ, उदयपुर	06.11.1993	GEN	प्रथम स्तर	राप्राधि कालीबली
23	102057920	जहमी	सचाराज	नाचक मोहल्ला, रामगढ़, अलवर	17.08.1995	SC	प्रथम स्तर	राउप्राधि मैकडा(परम वा)
24	111000590	सीता शर्मा	रमानिधारा शर्मा	जजिलामगर केर, भरतपुर	06.07.1996	SC	प्रथम स्तर	राउप्राधि रतनपुरा
25	111000590	मनू कुमारी शर्मा	नवीचन्द शर्मा	नामनवास मट्टीकला, सवाईमाधोपुर	28.03.1990	ST	प्रथम स्तर	राउप्राधि कराकला
26	112000733	सावित्री शर्मा	कानूराम शर्मा	कानूरिया	01.05.1990	ST	प्रथम	राप्राधि

राजेश

				दीसा			स्तर	दरती
27	122013654	मनीषा बाई मीना	रमेश मीना	गोठडा, सपोटरा, करौली	05.09.1996	ST	प्रथम स्तर	राजस्थान
28	122014464	महादेवी मीना	तेजराम मीना	खेडा, हिण्डोलसिटी, करौली	05.05.1993	ST	प्रथम स्तर	राजस्थान

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं जो इन्होंने अपने आवेदन पत्रों में उल्लेखित की हैं तथा जिन्हें जिला स्थापना समिति जिला परिषद द्वारा सम्यक जाँच पश्चात स्वीकार किया गया है।

नोट :- कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कुराबड़, जिला उदयपुर के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 28.07.2017 के अनुसार उपर्युक्त क्रम संख्या 4, 17 व 18 के अभ्यर्थी के शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता प्रमाण राजस्थान राज्य के बाहर के होने के कारण इनकी नियुक्ति, पूर्णतया दस्तावेज सत्यापन के अधीन रहेगी।


यह भर्ती /नियुक्ति विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अधीन रहेगी।

सभी नियुक्तियाँ प्रोविजनल होंगी एवं नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को 15 दिनों में कार्य प्रारम्भ कर लेना होगा। इन अभ्यर्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F14(1)FD rules 2014 pt दिनांक 24.12.2014 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची iv के अनुसार परिवर्धित काल में नियत पारिश्रमिक रु 13200/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते तथा भत्तान किराया, महादेवी भत्ता, सहरी क्षतिपूर्ति भत्ता विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। दो वर्ष के परीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषपूर्ण पूरी करने के उपरान्त ही पद की श्रृंखला का नियमानुसार वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 3600 वेतन देय होगा। जो अभ्यर्थी पूर्ण से निगमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके सदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार वेतन भत्ते देय होंगे।

इस भर्ती की प्रमुख शर्तें इस प्रकार रहेगी-


- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा इस भर्ती परीक्षा के सम्बन्ध में इस आदेश के जारी होने की तिथि तक दायर विविध याचिकाओं के अंतिम निर्णयों के अधीन रहेगी।
- उपर्युक्त अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएसओ) द्वारा भर्ती प्राप्त होने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अभाव में कार्यवाही की जायेगी नहीं जायेगी।
- उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णरूपेण प्रोविजनल है तथा चयनित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल द्वारा चयनित सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन नियुक्ति दी जाती है।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 256 के अनुसार नियोजन हेतु अपात्र एवं निरस्त अभ्यर्थी को बिना कारण बताये उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
- राज्यसरकार के अधीन किसी भी पद पर संस्थायी रूप से सेवागत होने की स्थिति में उपर्युक्त निश्चित मानदेय से अधिक रहने के रूप में आहरित किये जाने की स्थिति में गत मुगलान प्रमाण पत्र के अनुसार वेतन आहरित किया जायेगा परन्तु वार्षिक वेतन वृद्धियाँ परीक्षा अवधि संतोषपूर्ण पूरी करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा सकेंगी।
- किसी अभ्यर्थी के किसी राजकीय विभाग में कार्यरत होने की स्थिति में उस विभाग के स्वाम अधिकारी के कार्यमुक्त/त्यागपत्र स्वीकृत करने के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।
- वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ7(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 02.08.2005 एवं 13.03.2006 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ7 (डीओपी)-2 /95 दिनांक 20.06.2001 के सम्बन्ध में 12.09.2008 के पश्चात दो संतान में वृद्धि नहीं हुई है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रमाणित कर देना होगा।
- उक्त नियुक्ति पर कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.09.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना /मेमोरेण्डम दिनांक 13.03.2006 एवं 12.09.2008 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

10. परीक्षाकाल सतोषप्रद नहीं होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाकर सेवाये समाप्त की जा सकती।
11. पदग्रहण से पूर्व दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं हों) से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो छः माह से पुराना नहीं हो।
12. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में देनी होगी।
13. ऐसा विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो वह राजस्थान पंचायत समिति ए जिला परिषद् सेवा का पात्र नहीं होगा।
14. अभ्यर्थी को एक से अधिक पति/पत्नी नहीं रखने की शपथ निहित प्रारूप में देनी होगी।
15. परीक्षाकाल सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात चालू वेतन बैंड और श्रेष्ठ वेतन में अनुमानित वृद्धि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
17. अभ्यर्थी को धूमपान नहीं करने की शपथ निहित प्रारूप में देनी होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व सभी शैक्षिक / प्रशिक्षक दस्तावेज / प्रमाण पत्र पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
19. अभ्यर्थी को पदस्थापित विद्यालय में आदेश लिखि से 7 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा, यदि उक्त अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


 विकास अधिकारी
 पंचायत समिति कुराबड

प्रतिलिपि सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. श्रीमान् निदेशक, पेंशन एवं वेल्फेयर विभाग राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, उदयपुर।
5. श्रीमान् अति. परीक्षा नियन्त्रक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर।
6. सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक.....को अभ्यर्थी द्वारा भरे गए चरित्र सत्यापन की छायाप्रति सत्यमन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय उदयपुर।
8. श्रीमान् अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् उदयपुर।
9. श्रीमान् प्रधान महोदय, पंचायत समिति कुराबड।
10. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा० शि० उदयपुर।
11. श्रीमान् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प०स० कुराबड को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश देने से पूर्व सभी दस्तावेज प्राप्त कर/पात्रता की जाँच कर नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर कार्यालय को अवगत करावे।
12. प्र०अ० रा०प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०
13. सम्बन्धित श्री/सुश्री/श्रीमती.....
14. कार्यालय रक्षित पत्रावली।


 विकास अधिकारी
 पंचायत समिति कुराबड